आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
03/01/2022	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0ए0 आर पुनरीक्षण वाद 98/2013** **जुलियानी तिग्गा बनाम धन मसीह उरांव एवं अन्य ।** **आदेश** प्रश्नगत पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा एस0ए0आर0 अपील 74–R– 15/2004–05 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है जिसमें खाता नं0–115 में अवस्थित 2.89 एकड़ एवं खाता नं0–116 में अवस्थित 0.20 एकड़ भूमि जो ग्राम–बानपुर, अंचल –अनगड़ा में अवस्थि है एवं खाता नं0–73 के कुल 7.34 एकड़ भूमि बुढिबेरा अंचल–अनगड़ा में अवस्थित है, को विषय सन्निहित है। विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा वाद संख्या–25/1998–99 आवेदकों के पक्ष में एक पक्षीय आदेश पारित किया गया था। अपीलीय न्यायालय द्वारा विस्तृत सुनवाई के उपरांत यह पाया गया कि प्रश्नगत् भूमि के हस्तांतरण में धारा–46 का उल्लंघन नही है एवं भू वापसी के आदेश को रद्द कर दिया गया जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद दायर किया गया था। इस न्यायालय में आवेदन दायर करने के पश्चात् दिनांक 27.01.2014 तथा 26.08.2014 को आवेदक द्वारा समय की मांग की गई थी। उक्त तिथि के पश्चात् आवेदक की तरफ से इस वाद में कोई हाजरी नहीं दी गयी जबकि विपक्षी प्रश्नगत् वाद में अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहे। दिनांक 20.12.2021 को आवेदकों को अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम मौका दिया गया था। किन्तु निर्धारित तिथि 28.12.2021 को आवेदक पुनः अनुपस्थित रहे। अतः उपलब्ध कगजातों के आधार पर वाद को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आ... गई ... बारे में ... तारीख ... साथ।

प्रश्नगत् भूमि का हस्तांतरण निबंधित केवाला के द्वारा 1939 में खतियानी रैयत द्वारा बोवास तिर्की को किया गया। उक्त क्रेता द्वारा वर्तमान वाद के विपक्षीयों को निबंधित केवाला से 1947 में भूमि की ब्रिकी की गई। सभी क्रैता गण प्रश्नगत् भूमि के तभी से दखलकार है तथा उनके नाम से जमाबंदी कायम होकर राज्य सरकार को लगान भी दे रहे है। विगत सर्वे में उन्ही के नाम से इन्द्रज भी किये गये है। काश्तकारी अधिनिमय के अनुसार 05 मई 1948 के पश्चात् आदिवासी खाते की भूमि के हस्तांतरण हेतु पूर्व–अनुमति की आवश्कता नहीं थी, प्रश्नगत् वाद में भूमि का हस्तांतरण आदिवासी श्रेणी के व्यक्तियों बीच हुआ है। अपीलीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षों पर गौर करते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थियों के आवेदन में यह भी उल्लेख है कि प्रश्नगत् भूमि को लेकर उनके द्वारा टायटल सूट संख्या–32/2011 व्यवहार न्यायालय में दायर किया गया है। स्पष्टतः आवेदकों द्वारा एक ही विषय को लेकर विभिन्न न्यायालय में वाद दायर किये गये है। इस पुनरीक्षण आवेदन में कोई नया तथ्य उल्लेखित नहीं है, जिस पर पुनः विचार करने की आवश्कता होगी। आवेदक विगत 7 वर्षो से लगातार अनुपस्थित भी है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है। अतः इसे खारीज किया जाता है। आदेश की एक प्रति अपर उपायुक्त, राँची को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त राँची

आयुक्त राँची

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.25 13:15:44 +05:30
Location: 192.168.1.40